भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, गोड्डा।

म्यूटेशन अपील वाद संख्या 15/2022-2023

(19)

नित्यानंद मंडल एवं अन्य

बनाम्

सावित्री देवी

-: आदेश:-

29/05/25

अभिलेख उपस्थापित। प्रस्तुत वाद श्रीमान् उपायुक्त महोदय के न्यायालय गोड्डा के म्युटेशन रिविजन नं0-14/2023-24 नित्यानंद मंडल एवं अन्य बनाम सावित्री देवी में दिनांक-03.09.2024 को पारित आदेश के आलोक में उद्भूत हुआ है। म्युटेशन रिविजन नं0- 14/2023-24 में उपायुक्त महोदय के द्वारा अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय के म्युटेशन अपीलवाद सं0-15/2022-23 दिनांक- 03.06.2023 में पूर्व में पारित आदेश को निरस्त करते हुए पुनर्विचार हेतु अभिलेख जिला विधि शाखा, गोड्डा के डी0वी0 सं0- 33/वि0 दिनांक- 28.12.2024 के द्वारा रिमाण्ड किया गया है। उपायुक्त महोदय के द्वारा पूर्व में म्युटेशन अपीलवाद सं0-15/2022-23 में दिनांक- 03.06.2023 पारित आदेश में निम्नांकित बिंदुओं में विचार नहीं किये जाने के कारण पुनः विचार कर सम्यक् आदेश पारित करने का निदेश प्राप्त हुआ है।

1. निम्न न्यायालय के द्वारा राजस्व विविध वाद सं0- 45/1984-85 अनुमंडल कार्यालय, गोड्डा के संबंध में कोई निष्कर्ष अंकित नहीं किया गया है। जिसके आधार पर दाखिल खारिज किया गया है।
2. रिविजनकर्त्ता निबंधित बंटवारा दस्तावेज सं0-1355 दिनांक-10.04.1982 के आधार पर मौजा-पंचकाठी-363, जामाबंदी सं0-21 के अंर्तगत दाग सं0-22 के अंदर रकवा-01-00-00 धूर जमीन प्राप्त करने का दावा करते हैं। साथ ही साथ उनका दावा है कि निबंधित दस्तावेज बदलेन के आधार पर प्राप्त हुआ है।

अभिलेख रिमाण्ड किये जाने के उपरांत पुनः उभय पक्षों को नोटिस निर्गत करते हुए विधिवत सुनवाई की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख बद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

प्रस्तुत वाद के अपीलकर्त्ता नित्यानंद मंडल एवं दयानंद मंडल के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि प्रस्तुत अपीलवाद में दिनांक-03.06.2023 के पारित आदेश में श्रीमान् के न्यायालय के द्वारा मेरे अपीलवाद को खारिज करते हुए अंचल अधिकारी, गोड्डा के म्युटेशन नं0- 19/2009-10 में दिनांक-11.12.2009 के आदेश को बरकरार रखा गया था, को निरस्त करते हुए पुन विंचार हेतु श्रीमान् के यहाँ दिनांक- 03.09.2024 को प्रेषित किया गया है। अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि श्रीमान् उपायुक्त महोदय ने अपने आदेश में यह वर्णित है कि प्रश्नगत नामान्तरित जमीन में दाग नं0-22 के अंदर रकवा-1-00-00 एक बीघा जमीन बंटवारा दस्तावेज सं0-1355 दिनांक-10.04.1982 के आधार पर

अपीलकर्त्ता के पिता को प्राप्त है एवं उक्त जमीन पर उनका दखल कब्जा है और इस आधार पर प्रश्नगत नामांतरण वाद सं0- 19/2009-10 को रद्द करने का अनुरोध करते है।

उत्तरवादी सावित्री देवी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि नित्यानंद मंडल एवं दयानंद मंडल उत्तरवादी के वंशक्रम में नहीं आते है। उक्त प्रश्नगत नामांन्तरित जमीन उत्तरवादी की माँ मो0 वरसी को टाईटल (पी0) सु0 नं0-15/1956-57 से प्राप्त हुआ है और जिसे पाटीशन डीड के आधार पर अपीलकर्त्ता दावा करते है, वह विधि सम्मत नहीं है, क्योंकि रैयत के वारिसान के बीच में ही भूमि की हिस्सेदारी एवं बांटवारा हो सकता है। इसलिए प्रस्तुत बंटवारानामा कपटपूर्ण है एवं विधि सम्मत नहीं है। उनके विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि प्रश्नगत पाटीशन डीड सं0-1355/1982 को अमान्य घोषित करने हेतु श्रीमान् सबजज प्रथम, गोड्डा के न्यायालय में मूल वाद सं0-22/2025 अपीलकर्त्ता के विरूद्ध दायर किया है। वर्त्तमान अपील में कोई निर्णय लेना उचित नहीं है एवं प्रक्रिया स्थगित करने योग्य है।

उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि प्रश्नगत जमीन भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं0-2064 दिनांक-28.05.2021 द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग-133 महागामा से हंसडीहा मार्ग हेतु अर्जन करने के समय ही दिनांक-28.05.2021 को अपीलकर्त्ता को मिल गई है तथा भारत सरकार के राजपत्र में दिनांक-21.12.2021 को उक्त भूमि का अधिघोषणा प्रकाशित की गई है। अपीलकर्त्ता के द्वारा फरवरी 2022 में यह प्रस्तुत अपील दायर किया गया है। ऐसी परिस्थिति में अपीलकर्त्ता के अपील को विचार योग्य नहीं है।

जहाँ तक अपीलकर्त्ता के द्वारा बदलेन में उक्त भूमि प्राप्त होने का दावा किया जा रहा है। इस संदर्भ में यह विचारणीय है कि बदलेन की प्रक्रिया हेतु SPT Act की 1949 (पूरक) धारा 23 में प्रावधान वर्णित है-" (1) Raiyats desiring to exchange their lands may apply in writing to the Deputy Commissioner who may in his discretion permit such an exchange to be made, provided that the Deputy Commissioner shall not permit an exchange to be made unless he is satisfy that, (a) The parties to the exchange are both jamabandi raiyats with respect to the lands proposed to be exchanged,(b) The lands proposed to be exchanged are situated in the same village or in a contiguous village, (c) The transaction is not a concealed sale but is a bona fide exchange sought to be made for the mutual convenience of the parties, and (d) The lands proposed to be exchanged are of the same value. (2) Any exchange of lands made otherwise than under the provisions of sub-section (1) and without the previous permission in writing of the Deputy Commissioner shall be deemed to be a transfer made in contravention of section 20." विहित अन्तर्निहित तथ्यों के आधार पर अपीलकर्त्ता के द्वारा बदलेन में भूमि प्राप्त करने की प्रक्रिया नहीं अपनाया गया है। मात्र प्रश्नगत डीड सं0-1355/1982 में इसका उल्लेख

29/05/25

मात्र से बदलेन की संपुष्टि विधि संगत प्रतीत नहीं होता है। मौजा पंचकाठी- 363 जामाबंदी सं0-21 के अंतर्गत दाग सं0-22 के अंदर रकवा 01-00-00 धूर का अर्जन राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम-1956 की धारा-3'क' की उपधारा-(1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग की अधिसूचना सं0-2064 दिनांक- 28.05.2021 को उक्त भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग-133 महागामा से हंसडीहा मार्ग के लिए अर्जन की अधिसूचना निर्गत है। साथ ही साथ भारत सरकार के राजपत्र में दिनांक-20.12.2021 को अधिनियम की धारा 3 'घ' की उपधारा- (1) के तहत अर्जन की अधिघोषण प्रकाशित है एवं फलस्वरूप उक्त भूमि भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग को अंतर्निहित हो चुकी है। जिसका नामांतरण किसी अन्य पक्ष को नहीं किया जा सकता है।

राजस्व विविध वाद सं0- 45/1984-85 अनुमंडल कार्यालय, गोड्डा का सत्यापन अनुमंडल न्यायालय, गोड्डा के पंजी- 10 के करने पर पाया गया की पंजी- 10 उक्त वाद भागवत महतो बनाम झकसू महतो, सा0-बोहरा, थाना-पोड़ैयाहाट से संबंधित पाया गया, उक्त वाद बदलेन से संबंधित है और उक्त रिविजनवाद जमीन से उक्त वाद का कोई संबंध नहीं है। दूसरी तरफ प्रतिवादी के द्वारा भी श्रीमान् अवर प्रमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के रे0 मि0 केस नं0- 45/84-85 की सत्यापित प्रति उपलब्ध करायी गई है, जो सावित्री देवी बेटी स्व0 मो0 वरसी जोजे स्व0 विपत मंडल साकिन-मछिया सिमरडा थाना गोड्डा सबडिविजन एवं जिला -गोड्डा बनाम 1. कृष्णमोहन मंडल 2. पदारथ मंडल 3. महेन्द्र मंडल वो जयचन्द्र मंडल पेसरान- स्व0 कोदो मंडल साकिन-सिमरडा थाना सबडिविजन एवं जिला-गोड्डा के नाम से पंजीकृत है। इस प्रकार एक ही वाद सं0 का दो-दो अभिलेख प्रकाश में आया है। जिसका सत्यापन अभिलेखागार, गोड्डा से कराने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक- 277/भू0सु0, दिनांक- 17.05.2025 के द्वारा प्रभारी पदाधिकारी, जिला अभिलेखागार, गोड्डा को प्रेषित किया गया। प्रभारी पदाधिकारी, जिला अभिलेखागार, गोड्डा के पत्रांक-42/जि0अभि0, दिनांक- 26.05.2025 एवं अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के पत्रांक- 502/रे0मु0, दिनांक- 22.05.2025 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि न्यायालय में संधारित पंजी के अनुसार Revenue Miss Case No- 45/84-85 भागवत महतो, खगेश्वर महतो, पे0-महावीर महतो, अशोक कुमार यादव, पे0-भागवत महतो, सा0-बोहरा, थाना+पो0-पोड़ैयाहाट, जिला- गोड्डा बनाम् झकसु मंडल वो चरीतर मंडल, पे0-तौजी मंडल, सा0-बोहरा, थाना-पोड़ैयाहाट, अंचल-पोड़ैयाहाट, जिला- गोड्डा के नाम से दर्ज है। प्रभारी पदाधिकारी, जिला अभिलेखागार, गोड्डा एवं अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा से प्राप्त उपरोक्त प्रतिवेदन के आधार पर

21/05/25

Revenue Miss Case No- 45/84-85 सावित्री देवी बेटी स्व0 वरसी देवी जोजे स्व0 विपत मंडल, साकिन-मछिया सिमरडा, थाना-गोड्डा, सवडिविजन एवं जिला-गोड्डा बनाम् 1. कृष्ण मोहन मंडल, 2. पदारथ मंडल, 3. महेन्द्र मंडल वो जयचन्द्र मंडल पेसरान स्व0-कोदो मंडल, साकिन-सिमरडा संदिग्ध प्रतीत होता है। उक्त संदिग्ध वाद के आधार पर सावित्री देवी, पति-महादेव मंडल के नाम से किया गया नामांतरण वाद सं0- 19/2009-10 भी संदिग्ध है। यहां पर यह उल्लेख करना उचित प्रतीत होता है कि उक्त नामांतरण वाद में सन्नहित भूमि मो0 वरसी देवी, पति- स्व0 विपत मंडल को टाईटल सूट के आधार पर प्राप्त हुआ था और नामांतरित है। सावित्री देवी मो0 वरसी की एक मात्र संतान है। उक्त भूमि उन्हें उत्तराधिकार के आधार पर प्राप्त है एवं उक्त के आधार (Mutation by Succession) पर भी नामातंरण किया जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर निम्न प्रकार निर्णय लिया जाता है:-

01) अंचल कार्यालय, गोड्डा के नामांतरण वाद सं0-19/2009-10 में उल्लेखित दाग सं0:-21,22,81,85,87,88,89 एवं 91 कुल रकवा- 07 बीघा को दाखिल-खारिज किया गया है। दाखिल खारिज अभिलेख सं0- 19/2009-10 के आदेशफलक पृष्ठ सं0- 02 में अंचल अधिकारी, गोड्डा सदर के द्वारा उल्लेखित है कि पूर्व/वर्षो से ही श्रीमति सावित्री देवी बेटी स्व0 मो0 वरसी जोजे विपत मंडल का वर्षो से दखल कब्जा है एवं जोत आबाद कर रही है तथा मालगुजारी लगान रसीद भी कटाते आ रही है। उक्त दाखिल खारिज का आधार राजस्व विविध वाद सं0- 45/1984-85 को माना गया है। चूंकि उपरोक्त वर्णित परिस्थिति में उक्त राजस्व वाद के प्रमाणिकता संदिग्ध प्रतीत होती है। साथ ही मो0 बरसी को उपरोक्त वर्णित संपूर्ण भूमि 07 बीघा टाईटल सूट से प्राप्त हुआ है तथा यह भी सत्य है कि एक मात्र संतान सावित्री देवी है।

अत: अंचल अधिकारी, गोड्डा सदर को उक्त दाखिल-खारिज mutation by succession के आधार पर नियमानुसार नामांतरण किया जाना चाहिए था। परंतु उनके द्वारा राजस्व विविध वाद को आधार मानते हुए दाखिल-खारिज किया गया, जो संदिग्ध प्रतीत होता है। अत: पूर्व में अंचल अधिकारी, गोड्डा के नामांतरण वाद सं0-19/2009-10, दिनांक-11.12.2009 को निरस्त करने का आदेश दिया जाता है। विदित हो कि वादी नित्यानंद मंडल द्वारा भी केवल दाग सं0- 22 पर अपना दावा डीड के आधार पर किया जा रहा है। शेष दागों पर उनका दावा नहीं है। दाग नं0- 22 एवं जिन दागों का अधिग्रहण राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकार द्वारा किया जा चुका है उनको छोड़ कर अन्य दागों का

दाखिल-खारिज नियमानुसार पुनः mutation by succession के आधार पर कराने हेतु प्रतिवादी चाहे तो अंचल अधिकारी, गोड्डा सदर को पुनः आवेदन कर सकते हैं।

02) विवादित दाग सं0- 22 अंतर्गत अधिग्रहित रकवा- 0.620221 एकड़ (0.251 हेक्टेयर) राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकार में अधिग्रहित हो चुका है। उक्त रकवा का अधिग्रहण होने के कारण किसी अन्य पक्ष के नाम पर दाखिल-खारिज हेतु आदेश दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। साथ ही दाग नं0- 22 अंतर्गत शेष रकवा के संदर्भ में प्रतिवादी के द्वारा समर्पित कागजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी नित्यानंद मंडल द्वारा समर्पित डीड को अमान्य घोषित करने हेतु उक्त वाद श्रीमान् सबजज प्रथम, गोड्डा के न्यायालय में वाद सं0- 22/2025 दायर किया गया है। जो सबजज प्रथम, गोड्डा के न्यायालय में लंबित है।

अतः सक्षम न्यायालय के निर्णय के उपरांत ही दाग सं0-22 के अधिग्रहित रकवा को छोड़कर शेष रकवा के संदर्भ में इस अपील वाद में अग्रेतर निर्णय लिया जा सकता है।

उभय पक्ष के अधिवक्ता को द्रष्टव्य कराते हुए अभिलेख संचित करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

29/05/25
भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
गोड्डा

29/05/25
भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
गोड्डा

Bhati 11/6/25

Seen Adv 11/06/25

334/ 11/6/2025

Digitally signed by RITESH JAISWAL
Date: 2025.08.29 13:06:52 +05:30
Location: 192.168.29.7